The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2014

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 14th February, 2014)

P. N. Mishra
Secretary
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi

BILL NO. 1 OF 2014

THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) BILL, 2014

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2013-14.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2014.

issue of

Rs. 372,00,00,000/-

from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014

Appropriation.

- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred seventy two crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.
- 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

			Sums Not Exceeding			
DEMAND NO	SERVICES AND PURPOSES		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
1	2		3	4	5	
11	Urban Development and Public Works	Revenue	3720000		3720000	
	Total		3720000	34	3720000	



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No.1) Bill,2014 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (I) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the additional expenditure charged on the Consolidated Fund and the supplementary grants made by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014.



(Arvind Kejriwal)

Finance Minister/Chief Minister

Delhi,

February , 2014

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2014 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.



दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2014

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 14 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित किया गया)

सचिव विल्ली विधान सभा पुरामा सचिवालय, दिल्ली

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2014

वर्ष 2013-2014 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त शीर्षक

 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2014 है।

372,00,00,000 / — रुपयों का वर्ष 2013—2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त । 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ बहत्तर करोड़ रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2013—2014 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

उ इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



अनुसूची (धाराएं 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

मांग संख्या	50		राशी इससे अधिक नहीं		
	सेवायें एवं उददेश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड
1	2		3	4	5
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	3720000	**	3720000
	जोड		3720000		3720000



उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30(1)(क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2014, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।



(अरविन्द केजरीवाल) मुख्य मंत्री / वित्तमंत्री

दिल्ली

फरवरी, 2014

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2014 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

